राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश सरकार विभाग का गठन 24 अगस्त 2013 में किया गया था। इस मिशन कार्यालय तथा इसके कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, मुख्य सचिव हैं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, बाल विकास तथा क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष महानिदेशक राज्य पोषण मिशन है।

कार्य दिवस – सोमवार से शुक्रवार (अवकाश दिवस को छोड़कर)
कार्यालय समय – प्रातः 9:30 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक
आई.टी विभाग की वेबसाइट – www.snmup.in

पोषण मिशन का विजन

राज्य पोषण मिशन तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता को कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करेगा ताकि उत्तर प्रदेश में उन्हें अस्तित्व एवं सर्वोत्तम विकास के लिए अपने अधिकार दिलाने में मदद की जा सके।

महाराष्ट्र मिशन से प्रेरणा लेते हुए, विजन दस्तावेज राज्य पोषण मिशन को दस वर्षों के लिए स्थापित एवं निम्नलिखित चरणों में कार्य का आंकलन करने की योजना प्रस्तुत करता हैरू

पहला चरण : तीन वर्ष दूसरा चरण : दो वर्ष तीसरा चरण :पाँच वर्ष

मिशन का कार्य क्षेत्र/विस्तार

मिशन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू नहीं करेगा। पोषण मिशन बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार के लिए मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेगा और आँकड़ों के विशलेषण और कर्मियों के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में विभागों को सहयोग प्रदान करेगा। यह एक वकालत करने वाली संस्था, सलाहकार, समन्वय और ज्ञान प्रबन्धन का कार्य करेगा।

मिशन निम्न कार्य–सीमाओं द्वारा निर्देशित किया जायेगा :

- उच्च प्रभाव वाले पोषण हस्तक्षेप के अन्तर्गत चल रही याजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी और गुणवत्ता पूर्ण स्केलिंग के लिए आई.सी.डी.एस. और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा।

- आई.सी.डी.एस. और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण विकास,बेसिक शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायती राज एवं अन्य विभागों के बीच कन्वरजेन्ट की तरह तथा पोषण कार्यवाही के लिए अन्तर– क्षेत्रीय सहयोग को सुविधा जनक बनाने में लगे हुए एक समन्वय निकाय के रूप में काम करेगा।

- पोषण सम्बन्धित योजनाओं/हस्तक्षेप के लिए एक निगरानी निकाय की तरह काम करेगा। निगरानी के दौरान विभागों की त्रुटियों और चूक को विभागों के संज्ञान में लायेगा और विभागों को अधिक जवाबदेह बनाये जाने वाले कदमों का सुझाव देगा।

- पोषण के क्षेत्र में प्रगति एवं उपलब्धियों पर नजर रखने के लिए उनके मौजूदा एम. आई.एस. से जुड़े विभागों की आँकड़े प्रबन्धन प्रणाली, निगरानी और रिर्पोटिंग प्रणाली को मजबूत बनायेगा।

- पोषण के क्षेत्र में विभागों को नई नीतियों को विकसित करने की वकालत और मार्गदर्शन करने में डेटा और उदाहरणों का प्रयोग करेगा।

- अपने वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन की योजना (ए.पी.आई.पी.) के हिस्से के रूप में निगरानी और मूल्यांकन की योजना के विकास में और पोषण योजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए निगरानी और मूल्याकंन गतिविधियों में विभाग की सहायता करेगा। मिशन प्रमुख योजनाओं की वार्षिक योजना के भाग के रूप में विकसित लक्ष्य आधारित आवश्यक पोषण हस्तक्षेप पर प्रगति पर निगरानी करेगा।

- पोषण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक धन का सर्वोत्तम उपयोग करने में विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

- कार्यक्रम के प्रदर्शन को बढ़ाने और सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से पोषण हस्तक्षेपों/योजनाओं पर अपने मानव संसाधन की क्षमता विकसित करने में विभाग की सहायता करेगा। मिशन भी आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के आयोजन के लिए विभागों से धन लाभ ले सकता है।

- प्रमाण आधारित नवाचार और अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करेगा जो बदले में विभागों को उनकी वार्षिक योजनाओं में नवाचार के लिए नियोजन में मदद करेगा।

- फ्लैगशिप कार्यक्रम के अर्न्तगत संसाधनों पर विशेष बल देगा जिससे कि पारस्परिक विमर्श, मल्टीमीडिया तथा सामाजिक गतिविधियों द्वारा पोषण सेवाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जागरूकता व माँग उत्पन्न की जा सके।

राज्य पोषण मिशन दो विभागों आर्थात् आई.सी.डी.एस. और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य अभिसरित विभागों के साथ सेवाओं की

गुणवत्ता से सुधार लाने के लिए एक तथ्य अन्वेषी के दृष्टिकोण से काम करेगा, न कि त्रुटि अन्वेषी की तरह।

<u>राज्य पोषण मिशन का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नानुसार है–</u>

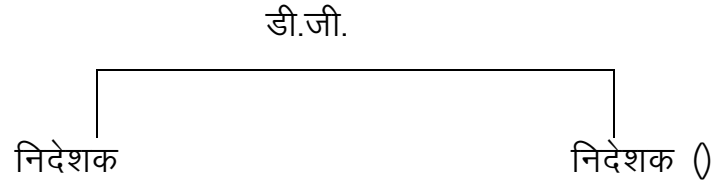

<u>लोक प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदर्शिनी</u>

क्र.सं.	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम**	**पदनाम**	**कार्यालय टेलीफोन नं.**	**आवासीय पता**
1				
2				
3				

बिन्दु (xvii) <u>अन्य विवरण</u> :

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन			माह में प्राप्त विचाराधीन आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		
			30 दिन के अन्द	30 दिन के ऊपर	योग				30 दिन के अन्द	30 दिन के ऊपर	योग

			र के						र के		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रस्तुत अपीलों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन			माह में प्राप्त विचाराधीन आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		
			30 दिन के अन्दर के	30 दिन के ऊपर	योग				30 दिन के अन्दर के	30 दिन के ऊपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12